

# मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2007 (फाल्गुन 25, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

## 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-12-98-अ-ग्यारह, दिनांक 10 जनवरी, 2007 पटल पर रखेंगे।

## 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. निशिथ पटेल, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील अंतर्गत कृषकों की भूमि योग पीठ को आवंटित किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री आरिफ अकील, रामलखन शर्मा, डॉ. सुनीलम्, सदस्य, भिण्ड में पदस्थ महिला उप निरीक्षक की हत्या होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सदस्य, शिवपुरी जिले के नागदा-गजौरा बांध की ढूब भूमि का पट्टा दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) सर्वश्री रामलखन शर्मा, मनमोहन शाह बट्टी, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, ग्वालियर स्थित अनुरक्षण गृह में एक बालिका के साथ बलात्कार कर हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, बालाघाट जिले में वाहन चोरों पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, ग्वालियर जिले के चिनौर थाना अंतर्गत एक युवक की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) सर्वश्री राजेन्द्र कुमार सिंह, शंकरलाल तिवारी, सदस्य, सतना शहर के बांधवगढ़ कालोनी से एक छात्र का अपहरण होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, सतना चित्रकूट सड़क मार्ग का निर्माण न होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) सर्वश्री आरिफ अकील, सज्जन सिंह वर्मा, रामलखन शर्मा, सदस्य, इंदौर जिले के हातोद थाना में पुलिस पिटाई से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास रावत, रामलखन शर्मा, सदस्य, मुरैना जिले के सबलगढ़ स्थित अनुसूचित जाति की छात्रा के साथ बलात्कार होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के सिरमौर में पदस्थ सहायक यंत्री द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर में लूटपाट की घटनाएं घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, सतना जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

## 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले की -

- (क) तहसील विजयपुर से गोहटा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
- (ख) तहसील विजयपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन निर्माण कराये जाने,
- (ग) रघुनाथपुर में 35 के.है.ए. का विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने, तथा
- (घ) तहसील विजयपुर में कूनों नदी पर बांध बनाये जाने,

- (2) श्री रामदास उर्फ़के, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के तहसील जुन्नारदेव में उप जेल की स्वीकृति प्रदान किये जाने, एवं  
 (3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के -
- (क) नागदा स्थित राजीव नगर कालोनी में स्ट्रीट लाईट ब पोल लगाये जाने,
  - (ख) नागदा स्थित तहसील महाविद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,
  - (ग) ग्राम चापाखेड़ा में उच्च क्षमता की पेयजल टंकी का निर्माण कराये जाने,
  - (घ) ग्राम चापाखेड़ा से बड़ावदा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा
  - (ङ) ग्राम नायन-नागदा, भीकमपुर-बड़ागांव-चिरोला तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

### 5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 3 सन् 2007) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

**निर्धारित  
समय**

### 6. वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

<b>3 घन्टे</b>	(1) मांग संख्या -21	आवास एवं पर्यावरण
	मांग संख्या -22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय
	मांग संख्या -53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
	मांग संख्या -68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
	मांग संख्या -75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.
<b>2 घन्टे</b>	(2) मांग संख्या - 12	ऊर्जा
	मांग संख्या - 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
<b>30 मि.</b>	मांग संख्या - 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
	मांग संख्या - 67	लोक निर्माण कार्य-भवन
	मांग संख्या - 69	सूचना प्रौद्योगिकी
	मांग संख्या - 73	त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय
	मांग संख्या - 76	लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
<b>2 घन्टे</b>	(3) मांग संख्या - 17	सहकारिता
	मांग संख्या - 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण.
<b>2 घन्टे</b>	(4) मांग संख्या - 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)
<b>30 मि.</b>	मांग संख्या - 28	राज्य विधान-मंडल
	मांग संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य
	मांग संख्या - 77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).
<b>2 घन्टे</b>	(5) मांग संख्या - 23	जल संसाधन
<b>30 मि.</b>	मांग संख्या - 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट
	मांग संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
	मांग संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
<b>1 घन्टा</b>	(6) मांग संख्या - 34	सामाजिक न्याय
<b>30 मि.</b>	मांग संख्या - 55	महिला एवं बाल विकास.

### 7. अशासकीय संकल्प

- (1) डॉ. निशिथ पटेल, श्री शरद जैन (एडव्होकेट), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

**45 मि.** "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि कोष्ठा/कोष्ठी जाति को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाय".

- (2) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

**1 घन्टा** "सदन का यह मत है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्य पीस वर्क पर न दिये जाकर निविदाओं के आधार पर कार्यादेश जारी किये जायें".

- (3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

**45 मि.** "सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में खेल परिसर स्थापित किये जायें".

**डॉ. ए.के. पवासी**

**प्रमुख सचिव,**

**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल :**

**दिनांक : 15 मार्च, 2007**